संख्या-2/2026-81/एक-1-2026/1925997

प्रेषक,

अपर्णा यू0 ,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मेरठ।

राजस्व अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः- 19 फरवरी, 2026

विषयः- मेसर्स मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज, मेरठ द्वारा ग्राम मसूरी तहसील सदर जनपद मेरठ में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी 1.8522 हे0 भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-239/सात-डी0एल0आर0सी0/202-25 दिनांक 08.09.2025 द्वारा प्रेषित संस्तुति सहित प्रस्ताव के क्रम में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद के पत्र संख्या-जी 582/5-172/2025, दिनांक 01.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गए अभिमत/आख्या के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथासंशोधित), शासनादेश संख्या-11/2021/928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा-1, दिनांक 23.12.2022 में विहित प्राविधान एवं प्रक्रिया के आलोक में श्री राज्यपाल मेसर्स मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज मेरठ द्वारा निजी औद्योगिक प्लेज पार्क की स्थापना हेतु ग्राम मसूरी, तहसील सदर जनपद मेरठ में बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी 1.8522 हे0 भूमि के सशुल्क विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं-

(1) प्रश्नगत संस्था मेसर्स मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज मेरठ द्वारा जिलाधिकारी मेरठ द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के आधार पर आगणित कुल धनराशि का 10 प्रतिशत अर्थात रू0 9,92,350/- (रू0 नौ लाख बान्नवे हजार तीन सौ पचास) जुर्माने के रूप में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग मेसर्स मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज मेरठ की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) यदि आवेदक, राजस्व संहिता की धारा-89 कीउपधारा-(3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा-89(2) के अधीन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विहित सीमा से अधिक अर्जित अथवा क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा-105 के परिणाम लागू हो जायेंगे।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय-पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किये गये हैं तथा कोई भी असंक्रमणीय भूमिधर, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के भूमिधर से क्रय नहीं की गयी है।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा व किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
अपर्णा यू0
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को उनके पत्र संख्या- जी 582/5-172/2025, दिनांक 01.12.2025 के क्रम में।
4. मेसर्स मेरठ पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज पार्टनर महावीर अग्रवाल निवासी प्लाट संख्या 5, सेक्टर 3, शताब्दी नगर तहसील व जिला मेरठ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरूण प्रकाश
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।